अध्याय - III

अध्याय - III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित हैं।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.1 संचरण प्रभार पर परिहार्य व्यय

समर्पित संचरण प्रणाली की अनुपस्थिति में कंपनी द्वारा संचरण प्रभार पर ₹ 31.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), अब झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने (सितम्बर 2012) आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड (एनपीएनआरएल) के साथ ऊर्जा क्रय हेतु 25 वर्षों के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) किया। पीपीए की शर्तों के अनुसार, एपीएनआरएल को अपने पावर प्लांट के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से दो वर्षों के अन्दर एक संचरण प्रणाली विकसित करनी थी, जिसमें पावर स्टेशन बस-बार[66] से जेबीवीएनएल के रामचन्द्रपुर 220 केवी सब-स्टेशन तक एक 400 केवी संचरण लाइन शामिल था, इस बीच एपीएनआरएल को पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीईएल) के ग्रिड में विद्युत डालनी थी जो जेबीवीएनएल के समीपवर्ती रामचन्द्रपुर ग्रिड में विद्युत डालता, जिसके लिए अंतर्सम्बन्धित बिन्दु और उससे आगे की दूरी से संचरण पर जेबीवीएनएल को संचरण प्रभार[67] (इंजेक्शन शुल्क और विथड्रावल शुल्क) प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि के लिए या समर्पित संचरण प्रणाली के विकसित होने तक, जो भी पहले हो, दिया जाना था।

---

[66] विद्युत ऊर्जा वितरण में बस बार एक धातु कीपट्टी या बार है जो स्विचयार्ड के अन्दर बिजली को चालित करता है।

[67] डिलिवरी पॉईंट से पावर स्टेशन बस बार के लिए उर्जा के संचरण हेतु संचरण टैरिफ के अनुसार प्रभार को विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाना था एवं क्रेता द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना था।

रेखाचित्र 3.1.1: एपीएनआरएल पावर प्लांट से रामचन्द्रपुर ग्रिड तक से बिजली की निकासी के लिए सचित्र विवरण।

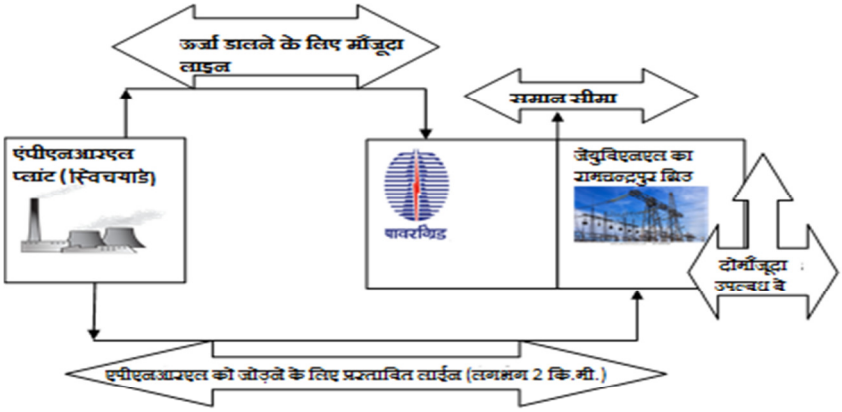

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2015) पाया कि यूनिट 1 और 2 की सीओडी क्रमश: 21 जनवरी 2013 और 19 मई 2013 को घोषित की गयी। यद्यपि, जेएसईबी के रामचन्द्रपुर ग्रिड में दो बे सीधे एपीएनआरएल ग्रिड से केनेक्टिविटी के लिए मौजुद थे, तथापि, जेबीवीएनएल ने समर्पित संचरण लाइन के निर्माण के लिए जरूरी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की माँग झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) से नहीं की जिसके अधिकार क्षेत्र में रामचन्द्रपुर ग्रिड जेएसईबी के विघटन (जनवरी 2014) के बाद पड़ता है। इस प्रकार, अनापत्ति प्रमाण पत्र एपीएनआरएल को जारी नहीं हो सका और प्लांट से रामचन्द्रपुर ग्रिड के बीच समर्पित संचरण प्रणाली का निर्माण शुरू नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने अपने औपबंधिक टैरिफ आदेश[68] में जेबीवीएनएल और एपीएनआरएल को पावर स्टेशन से ऊर्जा संचरण हेतु समर्पित संचरण प्रणाली के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करने और उस पर दो माह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश (मई 2014) दिया। इस तरह से गठित समिति (जुलाई 2014) संचरण लाइन के निर्माण संबंधी मुद्दों पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकी। इसके बाद, गठित एक अन्य समिति (17 जुलाई 2015) ने संचरण लाइन के निर्माण के लिए कई विकल्पों का सुझाव दिया था। हालांकि, कोई निर्णायक प्रतिवेदन जेएसईआरसी को प्रस्तुत नहीं किया गया और संचरण लाइन का निर्माण अभी तक (अक्टूबर 2016) शुरू नहीं हो सका।

समर्पित संचरण प्रणाली के अभाव में जेबीवीएनएल द्वारा पीजीसीआईएल को जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान ₹ 13.36 करोड़ इंजेक्शन शुल्क और ₹ 17.83 करोड़ विथड्रावल शुल्क का भुगतान किया गया जिसे बचाया जा सकता था; यदि समर्पित संचरण प्रणाली को पीपीए में निर्दिष्ट समय-सीमा में विकसित कर लिया गया होता।

[68] वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए।

जवाब में कंपनी ने यह स्वीकार करते हुए कि अभी तक (नवम्बर 2016) समर्पित संचरण प्रणाली का निर्माण नहीं हो सका है कहा कि जेबीवीएनएल ने लाइन का व्यवस्थित अध्ययन करने, बिल ऑफ क्वांटिटि को अंतिम रूप देने और संचरण तंत्र के निर्माण के लिए लागत-लाभ विश्लेषण करने हेतु एक सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी पीपीए होने के चार साल बीत जाने के बाद भी समर्पित संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु कोई भी निर्णय लेने में विफल रही है।

इस प्रकार, विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहने के कारण इंजेक्शन शुल्क और विथड्रावल शुल्क पर जेबीवीएनएल को ₹ 31.19 करोड़[69] का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2016); उसका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)| हालांकि, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने लेखापरीक्षा कडिंका पर चर्चा के दौरान (नवंबर 2016) यह स्वीकार किया कि संचरण लाइन का निर्माण नहीं किया गया था।

3.2 स्रोत पर काटे गए कर एंव कार्य अबुबंध कर का परिहार्य भुगतान

जेबीवीएनएल ठेकेदारों के चालू विपत्रों से आयकर और कार्य अनुबंध कर की कटौती करने मे विफल रहा और अपनी निधि से उस राशि को जमा किया जिसके कारण ₹ 15.31 करोड़ की हानि हुई।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार, किसी अनुबंध के अनुपालन में किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी ठेकेदार को किसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करते समय अथवा उसका भुगतान करते समय उस राशि के दो प्रतिशत[70] के बराबर राशि की कटौती उस राशि में शामिल आय पर आयकर के रूप में करेगा। साथ ही, झारखण्ड मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 44 के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्य में अनुबंध के तहत कार्यों के निष्पादन, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण अंतर्निहित हो तो वह ठेकेदार को भुगतान करते समय दो प्रतिशत अग्रिम कर की कटौती करेगा (29 मई 2014 से 4 प्रतिशत)।

पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), अब झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, (जेबीवीएनएल) ने झारखण्ड के छ: जिलों में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए

[69] इंजेक्शन प्रभार - ₹ 13.36 करोड़ प्लस विथड्रावल प्रभार - ₹ 17.83 करोड़।

[70] व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा जहाँ भुगतान किसी एक व्यक्ति को या उसके खातों में जमा किया जा रहा था।

विभिन्न ठेकेदारों को टर्नकी कंट्रैक्ट के आधार पर सात[71] पैकेजों में कार्यादेश दिया (दिसम्बर 2006)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार विधि विहित आयकर अथवा कोई अन्य कॉर्पोरेट कर, यदि कोई हो तो, का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही कार्य अनुबंध कर (डब्लूसीटी) और लागू होने वाले इसी तरह के अन्य कर भी ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाएगा और जेएसईबी इन करों की कटौती स्रोत पर करेगा एवं तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2015) में पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान ठेकेदारों के चालू विपत्रों का भुगतान करते समय जेएसईबी ने स्कीम के तहत माल की आपूर्ति पर डब्लूसीटी एवं स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की राशि यह कहते हुए कटौती नहीं की कि टीडीएस एवं डब्लूसीटी माल की आपूर्ति पर लागू नहीं होते हैं। यह गलत था; क्योंकि कंपोजिट/टर्नकी अनुबंधों के मामले में वे लागू थे।

इस प्रकार, वित्त नियंत्रक, जेएसईबी कार्य अनुबंध कर (डब्लूसीटी) और टीडीएस की प्रयोज्यता के बारे में सही निर्णय लेने में असफल रहे। आयकर विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग ने उपर्युक्त वर्षों में स्कीम के तहत माल की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को किये गए भुगतान की राशि से नहीं काटे गये क्रमश: टीडीएस तथा डब्लूसीटी राशि की माँग की। जेएसईबी ने अपनी निधि से वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए ₹ 14.95 करोड़ टीडीएस का भुगतान आयकर विभाग को और ₹ 4.72 करोड़ डब्लूसीटी की राशि का भुगतान वाणिज्यिक कर विभाग को जमा किया (मार्च 2009)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के जोर देने पर जेबीवीएनएल[72] ने सात वर्षों से अधिक विलंब के पश्चात् ठेकेदारों से राशि की वसूली शुरू की (जुलाई 2015) और अक्टूबर 2016 तक केवल ₹ 4.35 करोड़ की राशि (टीडीएस ₹ 1.24 करोड़ + ड्ब्लूसीटी ₹ 3.11 करोड़) की वसूली कर पायी। शेष ₹ 15.31 करोड़ की राशि (टीडीएस ₹ 13.71 करोड़ + डब्लूसीटी ₹ 1.60 करोड़) की वसूली नहीं हो सकी और जेबीवीएनएल को हानि हुई जिसे मार्च 2016 तक उक्त राशि की गैर वूसली के कारण ₹ 17.62 करोड़[73] का अतिरिक्त ब्याज खर्च का भी वहन करना पड़ा।

मामला कंपनी (जुलाई 2016) और सरकार (जुलाई 2016) को प्रतिवेदित किया गया था; अनुस्मारक दिनांक 23 सितम्बर 2016 और 18 नवंबर 2016 के बावजूद उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2016)।

---

[71] पैकेज ए - मेसर्स नेकॉन, पैकेज बी - मेसर्स एटीएसएल, पैकेज सी - मेसर्स एनसीसीएल, पैकेज डी - मेसर्स एटीएसएल, पैकेज ई - मेसर्स आईवीआरसीएल, पैकेज एफ - मेसर्स आईवीआरसीएल और पैकेज जी - मेसर्स आईवीआरसीएल।

[72] कंपनी का गठन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद जनवरी 2014 के बाद हुआ।

[73] 13 प्रतिशत की दर पर परिकलित जिस पर झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने झारखण्ड सरकार से निधि उधार लिया।

हालांकि, लेखापरीक्षा कंडिका पर चर्चा (नवम्बर 2016) के दौरान अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने जेबीवीएनएल को निर्देश दिया कि वे ठेकेदारों द्वारा की गयी अनियमित्ताओं तथा इन अनियमित्ताओं के लिए जिम्मेदार अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सौपें ताकि उचित कारवाई की जा सके।

झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3 रूपये 4.95 करोड़ की वसूली में विफलता

ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के सत्यापन में विफलता के कारण शेष बचे हुए कार्य को निष्पादित कराने में किये गये ₹ 4.95 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को कम्पनी संबंधित ठेकेदार से वसूल करने में विफल रही।

झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ ₹ 48.74 करोड़ की लागत से विभिन्न पुलिस लाइनों[74] पर दस पुलिस टावर लगाने का अनुबंध (4 मई 2013) किया। इस कार्य का निष्पादन अगस्त 2014 तक किया जाना था। अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के खण्ड 3 (सी) के अनुसार, यदि कार्य अधूरा रहता है और शेष बचे हुए कार्य को किसी दूसरे ठेकेदार से सम्पन्न कराया जाता है तो इस कार्य के एवज में अन्य ठेकेदार को दी जाने वाली राशि मूल ठेकेदार को दी जाने वाली राशि से जितनी अधिक होगी उसे मूल ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016) में पाया गया कि ठेकेदार ने दो बैंक गारंटी (बीजी) (07 फरवरी 2013) जमा की थी जिनमें से पहली 25 जून 2013 तक के लिए वैध ₹ 97.58 लाख के बयाना के रूप में एवं दूसरी 10 अगस्त 2013 तक के लिए वैध ₹ 1.46 करोड़ की प्रतिभूति राशि के रूप में थी। बाद में बैंक गारंटी की वैधता अवधि को 3 सितम्बर 2014 तक बढ़ाया गया। दोनों बैंक गारंटी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) की बिस्टुपुर शाखा, जमशेदपुर द्वारा जारी की गयी थी।

यह पाया गया कि कंपनी के कार्यपालक अभियंता, राँची डिविजन ने बैंक गांरटी की प्रामाणिकता की जाँच ठेकेदार के साथ अनुबंध करने से पहले नहीं की; यद्यपि कंपनी के हित में इसे किया जाना आवश्यक था। चूँकि कार्य अपूर्ण था, अत: कपंनी ने (25 अगस्त 2014) बैंक गारंटियों की एक प्रति अवधि-विस्तार हेतु बैंक को भेजी। बैंक ने बताया (01 सितम्बर 2014) कि बैंक गारंटियाँ उनके द्वारा जारी नहीं की गई हैं। नतीजतन, कपंनी ने ठेकेदार को उक्त बैंक गारंटियों की प्रामाणिकता साबित करने का निर्देश (08 सितम्बर 2014) दिया और साथ ही नयी बैंक गारंटी देने को कहा;

[74] राँची में तीन लोवर सबऑर्डीनेट (एल/एस) टावर और तीन अपर सबऑर्डीनेट (यू/एस) टावर सम्मिलित दस जी + 8 टावर; जमशेदपुर में एक एल/एस टावर और एक यू/एस टावर और बोकारो में एक एल/एस टावर और एक यू/एस टावर।

परंतु ठेकेदार इसमें असफल रहा। कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के लिए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर ढर्ज (21 सितम्बर 2015) कराया और अनुबंध को रद्द (23 सितम्बर 2014) कर दिया। अनुबंध रद्द होने तक कंपनी ने ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के बदले उसे ₹ 12.84 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

तत्पश्चात कंपनी ने (जनवरी 2015) ₹ 35.50 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्यों को निष्पादित कराने के लिए ₹ 41.87 करोड़ की राशि के दस कार्यादेश अन्य ठेकेदारों को दिये और इस प्रकार, बचे हुए कार्य को पूरा कराने में ₹ 5.97 करोड़ अतिरिक्त व्यय हुआ। अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अतिरक्त व्यय मूल ठेकेदार से वसूल किया जाना था। कंपनी ने प्रतिभूति की राशि (₹ 61.32 लाख) को जब्त किया एवं ठेकेदार के अंतिम बिल (₹ 40.79 लाख रूपये) का भुगतान रोक दिया। इस प्रकार, ₹ 1.02 करोड़ की ही वसूली हो पायी और शेष ₹ 4.95 करोड़ की वसूली नहीं हो पाया। कंपनी ने (जुलाई 2016) कहा कि अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए ठेकेदार के विरूद्ध मनीसूट दायर किया गया है। हालांकि, तथ्य यही है कि राशि की वसूली अभी तक (दिसम्बर 2016) नहीं हुई है ।

इस प्रकार, बैंक गारंटी की प्रमाणिकता की जाँच करने में की गयी लापरवाही के कारण कार्य को सम्पादित कराने में ₹ 4.95 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी वसूली ठेकेदार से नहीं हो पाई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2016); अनुस्मारक दिनांक 23 सितम्बर 2016 और 18 नवंबर 2016 के बावजूद उसका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड

3.4 निष्फल एंव अतिरिक्त व्यय

जेयूयूएनएल ने खरीदी हुई सामग्री का क्रय के पूर्व निरीक्षण करने और दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने में विफल रहने के कारण ₹ 38.24 लाख का निष्फल व्यय किया। कंपनी ने नामंकन के आधार पर सामग्री की अगली खरीद पर भी ₹ 17.94 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत् (जेएसईबी) बोर्ड, अब झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) ने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस) की इकाई सं. 9

और 10 के बाउल मिल के लिए चार सेट वार्म गियर एवं वार्म शाफ्ट[75] की खरीद के लिए क्रय आदेश (10 जून 2011) रोटेक ट्रांसमिसन प्रा. लि., (फर्म) को अतिरिक्त कर एवं शुल्क सहित ₹ 48.60 लाख के मूल्य पर (प्रत्येक ₹ 12.15 लाख) दिया। क्रय आदेश (खण्ड 13) के अनुबंध के अनुसार :

- सामग्री का निरीक्षण उसके प्रेषण से पूर्व आपूर्तिकर्ता के कार्य स्थल पर पीटीपीएस के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाना था;
- सामग्री का प्रेषण से पूर्व निरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाना था;
- महाप्रबंधक, पीटीपीएस को सामग्री की गुणवत्ता और पीटीपीएस के अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रेषण पूर्व निरीक्षण सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 216) कि फर्म ने महाप्रबंधक, पीटीपीएस को प्रेषण से पहले सामग्री का अंतिम निरीक्षण का अनुरोध (19 जून 2012) किया। किंतु, महाप्रबंधक, पीटीपीएस ने साइट अभियंताओं की पीटीपीएस की इकाई 10 की कमिशनिंग गतिविधियों में व्यस्तता का हवाला देकर झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता (उत्पादन) से अनुरोध किया (20 जून 2012) कि निरीक्षण की शर्तों को हटा लिया जाए। हालांकि, महाप्रबंधक, पीटीपीएस द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता (उत्पादन) के कार्यालय या किसी अन्य स्रोत से जन शक्ति की व्यवस्था करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मुख्य अभियंता (उत्पादन) ने (26 जून 2012) प्रेषण से पूर्व अंतिम निरीक्षण की शर्त को समाप्त कर अंतिम निरीक्षण पीटीपीएस के स्टोर में किये जाने में बदल दिया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एनआईटी (मार्च 2009) एवं आशय पत्र (9 फरवरी 2011) की शर्तों के अनुसार, 100 प्रतिशत भुगतान सामग्री की सुपुर्दगी एवं स्टोर प्राप्ति वाउचर (एसआरवी) के जारी होने के बाद होना था। हालांकि, फर्म क्रय आदेश देने में देरी (जून 2011) एवं उनके प्रस्ताव की वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के कारण भुगतान की इन शर्तों से सहमत नहीं हुई। अतः क्रय आदेश में भुगतान की शर्तों को बदलकर बैंक के मार्फत सामग्री के दस्तावेजों के प्रेषण के विरुद्ध 100 प्रतिशत भुगतान के रूप में कर दिया गया। इस तरह, आपूर्तिकर्ता द्वारा दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के विरुद्ध जेएसईबी के पास कोई सुरक्षा नहीं रही।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने (4 सितंबर 2012) सामग्री प्रेषण दस्तावेजों के विरुद्ध फर्म को ₹ 49.89 लाख[76] का भुगतान कर दिया। निरीक्षण के बाद (10 अप्रैल

---

[75] वार्म गियर एक विशेष गियर है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल स्टीयरींग मेकेनिक्स, हॉइस्ट और रोलिंग मिलों में होता है। वार्म गियर ड्राइव्स का प्रयोग आमतौर पर असमानांतर और आपारस्परिक शाफ्ट के बीच उर्जा के संचरण के लिए होता है।

[76] ₹ 56.26 लाख - { ₹ 2.45 लाख (आपूर्ति में देरी के लिए 5 % जुर्माना) +(5 % परफॉरमेन्स गारंटी) + ₹ 1.10 लाख (आयकर)}।

2013) पाया गया कि सामग्री का आयाम बेमेल था; फलत: प्रयोग के लिए अनुपयुक्त था, अतः सभी वार्म गियर एवं वार्म शाफ्ट के सेट को खारिज कर दिया गया। फर्म द्वारा जेएसईबी को सूचित किया (19 नवम्बर 2013) गया कि बदले जाने वाले वार्म गियर एवं वार्म शाफ्ट का विनिर्माण उन्नत चरण में है और उनकी आपूर्ति 20 दिसम्बर 2013 तक कर दी जाएगी। फर्म ने एक सेट (04 जनवरी 2014) को बदल दिया और अस्वीकृत सामग्री वापस मिलने के बाद दो सेट को अगस्त 2014 तक बदलने का आश्वासन दिया (13 मई 2014)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भण्डार,पीटीपीएस ने फर्म को सूचित किया (मई 2014) कि अस्वीकृत सामग्री उन्हें तभी भेजी जाएगी जब दोषपूर्ण सामग्री फर्म द्वारा बदल दी जाएगी क्योंकि पूरी राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, सामग्री को बदलवाने सम्बन्धी मामले के समाधान के लिए कोई प्रभावी कारवाई नहीं की गई।

परिणामस्वरूप, अस्वीकृत वार्म गियर एवं वार्म शाप्ट के तीन सेट, जिनका मूल्य ₹ 37.28 लाख[77] था, अभी तक (सितम्बर 2016) फर्म द्वारा नहीं बदले गए। साथ ही, सामग्री के प्रेषण से पूर्व निरीक्षण न करने सम्बन्धी महाप्रबंधक, पीटीपीएस के अनुचित निर्णय एवं उस निर्णय का अनुमोदन मुख्य अभियंता (उत्पादन) द्वारा किए जाने के कारण हानि की भरपाई के लिए जेयूयूएनएल द्वारा किसी कारवाई की पहल नहीं की जा सकी जिसकी वजह से ₹ 37.28 लाख का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

चूँकि, प्रतिस्थापन सामग्री प्राप्त नहीं हुई अत: कम्पनी ने (अप्रैल 2014) मेसर्स राँची इलेक्ट्रिकल्स से नामंकन के आधार पर प्रति सेट ₹ 18.13 लाख मूल्य पर वार्म गियर के छः सेट की खरीद की, जिसकी वजह से ₹ 17.94[78] लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस तरह, महाप्रबंधक, पीटीपीएस और मुख्य अभियंता (उत्पादन) द्वारा क्रय आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार क्रय की गयी सामग्री के प्रेषण से पूर्व निरीक्षण करवाने में विफल रहने एवं परिणामत: दोषपूर्ण सामग्री की प्राप्ति की वजह से ₹ 37.28 लाख का व्यर्थ व्यय और ₹ 17.94 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जवाब में कंपनी ने (नवम्बर 2016) कहा कि साइट अभियंता, जिन्हे पीटीपीएस की इकाई 10 और खासकर बाउल मिल में विशेषज्ञता प्राप्त थी, इकाई 10 की कमीशनिंग सम्बन्धी गतिविधियों में व्यस्त थे। उनके द्वारा दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने की प्रक्रिया जारी है। दोषपूर्ण सामग्री के मूल्य के विरूद्ध बैंक गारंटी प्राप्त कर दोषपूर्ण सामग्री को आपूर्तिकर्ता को वापस किया जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है; क्योंकि सामग्री के अनुमोदित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रेषण पूर्व निरीक्षण अन्य अभियंताओं द्वारा भी किया जा सकता था।

---

[77] (₹ 49.89 लाख + ₹ 1.10 लाख)x3 सेट /4 सेट।

[78] (₹ 18.13 लाख - ₹ 12.15 लाख) x 3 सेट।

साथ ही, दोषपूर्ण सामग्री की प्राप्ति के 42 महीनों के बाद भी सामग्री को बदलवाने के लिए प्रभावपूर्ण कारवाई नहीं की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2016); अनुस्मारक दिनांक 23 सितम्बर 2016 और 18 नवंबर 2016 के बावजूद उसका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

3.5 व्यर्थ व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहते हुए कम्पनी ने ₹ 1.27 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

वैसे प्रतिष्ठान जिसमें 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है और जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत अचिसूचित उद्योग में लगाये गये हैं, उसके नियोक्ता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर कर्मचारी को मिलने वाली मजदूरी[79] के 12 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान के साथ उसी के बराबर नियोक्ता के अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि में जमा करे। ज्योंही अधिनियम के लागू होने की शर्त पूर्ण हो जाती है त्योंही प्रतिष्ठान को पंजीयन हेतु स्वतः ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.भ.नि.आ.) से संपर्क करना होता है ताकि आयुक्त द्वारा सभी पात्र कर्मचारियों के लिए खाता संख्या का आवंटन किया जा सके। निधि में योगदान के भुगतान में चूक होने पर, क्षे.भ.नि.आ. दंड एवं क्षतिपूर्ति की राशि सहित बकाया राशि की वसूली कर सकता है।

अभिलेखों की जाँच से (जुलाई 2015) पाया गया कि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, अब झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में 1 जुलाई 2007 की प्रभावी तिथि से अधिनियम के दायरे में लाया गया। हालांकि, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के सचिव, जो कंपनी मे कार्मिक और सामान्य प्रशासन के प्रभारी थे, मार्च 2013 तक क्षे.भ.नि.आ. के साथ कंपनी का पंजीयन कराने में विफल रहे। कम्पनी ने जुलाई 2007 से फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए अस्थायी कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारियों के अंशदान की कटौती नहीं की और न ही इस वैधानिक जमा को क्षे.भ.नि.आ. के कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की। इस चूक के कारण उपरोक्त अवधि के लिए बकाया राशि के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 7 ए के तहत क्षे.भ.नि.आ. द्वारा (सितम्बर 2013) नोटिस जारी किया गया। क्षे.भ.नि.आ. ने ₹ 1.02 करोड़ बकाया राशि का निर्धारण किया जिसका

[79] कर्मचारियों के अंशदान की कटौती के प्रयोजन के लिए मजदूरी में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, खाद्य रियायत का नकद मूल्य और प्रतिधारण भत्ता शामिल होगा यदि कोई दिया जा रहा हो तो जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 6500 होगी।

भुगतान 15 दिनों के भीतर करना था और इसमें विफल रहने पर और कोई नोटिस दिये बगैर कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कम्पनी ने नियत समय के भीतर बकाया के भुगतान में चूक की और क्षे.भ.नि.आ. ने अधिनियम की धारा 8 एफ (3)[80] के तहत इलाहाबाद बैंक को आदेश दिया कि वह कम्पनी के खाते से उसे ₹ 1.02 करोड़ की राशि का प्रेषण करे। तदनुसार, बैंक ने कम्पनी के खाते से वह राशि प्रेषित कर दी। साथ ही क्षे.भ.नि.आ. ने चूक के लिए ₹ 1.27 करोड़ (ब्याज ₹ 44.80 लाख प्लस क्षतिपूर्ति ₹ 81.73 लाख) का दंड लगाया और इसे भी कंपनी के खाते से प्रेषित (नवम्बर 2014) कर दिया गया।

कंपनी ने कहा कि (नवम्बर 2016) अधिनियम भी धारा 32-बी के प्रावधानों, जिनमें उपयुक्त मामलों में दंड से छूट दिये जाने का प्रावधान है, की उपेक्षा करते हुए जेएसईबी को सुनवाई का मौका दिये बगैर एक पक्षीय ढंग से दंड की राशि थोपी गई और उसके द्वारा नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

उत्तर मान्य नहीं है; क्योंकि कम्पनी के द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष क्षे.भ.नि.आ के द्वारा आदेश जारी किये जाने के 60 दिनों के भीतर समीक्षा याचिका दायर नहीं की गयी।

इस तरह, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के कारण कंपनी ने हर्जाना और ब्याज के रूप में ₹ 1.27 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2016); अनुस्मारक दिनांक 23 सितम्बर 2016 और 18 नवंबर 2016 के बावजूद उसका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड

3.6 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

अग्रिम आयकर का भुगतान करने में विफलता के कारण ₹ 1.95 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, यदि किसी वर्ष के दौरान देय कर की राशि दस हजार रूपये या उससे अधिक है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर का भुगतान देय है। अधिनियम की धारा 234 बी निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता, जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, उस कर अदायगी में चूक करता है या

[80] कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 8 एफ की उप-धारा (3) (i) के अनुसार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उस व्यक्ति को, जिसकी नियोक्ता के प्रति देनदारी हो, उस राशि का जो किसी नियोक्ता से प्राप्य हो, भुगतान करने के लिए कह सकता है। उप-धारा (3) (iv) के तहत हर उस व्यक्ति को जिसे इस उप-धारा के तहत सूचना जारी किया गया है, सूचना के पालन के लिए बाध्य होगा।

उस करदाता द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर की राशि आकलित कर के 90 प्रतिशत से कम है तो वह करदाता आकलित कर से कम भुगतान किये गये अग्रिम आयकर की राशि पर अप्रैल की पहली तिथि से प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 234 सी यह प्रावधान करती है कि यदि करदाता अग्रिम कर के भुगतान में विफल होता है या अग्रिम कर का भुगतान 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर, एवं 31 मार्च तक क्रमश: 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत से कम करता है तो करदाता उस कम राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की अदायगी के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (सितम्बर 2015) वित्तीय वर्ष 2013-14 में झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अधिनियम की धारा 234 बी और 234 सी के तहत आवश्यक अग्रिम कर का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 42.65 करोड़ की कर योग्य आय की गणना की और आयकर विवरणी को नवम्बर 2014 में दायर किया। सितम्बर 2013 और नवम्बर 2014 के मध्य कंपनी ने आयकर विभाग को ₹ 15.65 करोड़ का कर दायित्व भुगतान किया जिसमें समय पर अग्रिम आयकर का भुगतान करने में विफलता की वजह से अधिनियम की धारा 234 बी एवं 234 सी के तहत ₹ 1.15 करोड़ का ब्याज शामिल था। साथ ही 2012-13 में भी अग्रिम कर के भुगतान में कमी के कारण कंपनी ने 234 बी और 234 सी के तहत ब्याज के मद में ₹ 1.03 लाख भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विवरणी 30 सितम्बर 2016 को दायर किया जिसके अनुसार उसके द्वारा धारा 234 सी के तहत अग्रिम कर का समय पर भुगतान करने में विफल रहने के कारण ₹ 0.79 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार, कंपनी ने अपने आयकर दायित्व का उचित आकलन करने एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी अग्रिम कर को समय पर जमा करने हेतु सुधारात्मक उपाय नहीं किए जबकि 2012-13 और 2013-14 में इन वजहों से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा था। इस प्रकार, कंपनी ने समय पर अग्रिम कर के भुगतान में विफल रहने के कारण ₹ 1.95 करोड़ ब्याज का भुगतान किया।

कंपनी ने कहा (मई 2016) कि वह अग्रिम कर दायित्व का आकलन समय पर नहीं कर सकी; क्योंकि वर्ष 2013-14 में कंपनी के आवर्त एवं लाभ में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, भारत सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर दिया था जिसके अनुसार राज्य सरकार को भुगतान किए गए देय रॉयल्टी, विशेषाधिकार शुल्क आदि की कटौती को अमान्य करते हुए सभी आय को कर के दायरे में ला दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम में संशोधन मार्च 2013 में किया गया और यह 1 अप्रैल 2014 से ही प्रभावी था। इसके अलावा कम्पनी को वर्ष 2013-14 में देय अग्रिम कर का आकलन और भुगतान प्रत्येक तिमाही में अपने आवर्त के आधार पर करना चाहिए था। अग्रिम कर का भुगतान इस तरह करना चाहिए था जैसा कि वार्षिक बजट में आकलन किया गया था।

इस तरह, कर योग्य आय का आकलन करने और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2016); अनुस्मारक दिनांक 23 सितम्बर 2016 और 18 नवंबर 2016 के बावजूद उसका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

सी. नेडुन्चेलियन

राँची **(सी. नेडुन्चेलियन)**
दिनांक : **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**